प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या
....

इलाहाबाद।

पत्रांक / परीक्षा / 7043-45 / 2018-19 दिनांक 31-08-18

विषयः— लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज (पुरूष / महिला शाखा) स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 दिनांक 23.09.2018 (रविवार) हेतु परीक्षा केन्द्र निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), इलाहाबाद के पत्र संख्या—980 / ए0जे0ए0—1 / 2018 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि **लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज (पुरूष / महिला शाख) स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 दिनांक 23.09.2018 (रविवार) को** आयोजित होगी।

उक्त परीक्षा के आयोजन हेतु आपके विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है, जिसके लिए आप द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध करायी जानी है। शासन / प्रशासन के मंशानुरूप **नगर क्षेत्र में स्थित समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनिवार्य रूप से उक्त परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र बनाया जाना है,** जिसके क्रम में उक्त क्षेत्र के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र निर्धारित कर दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य परीक्षा पूर्व से निर्धारित हो तो उसकी भी सूचना अवश्य दें अन्यथा की दशा में संलग्न निर्धारित प्रारूप भरकर जमा करें।

उक्त पत्र एवं निर्धारित प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के वेबसाइट *www.diosallahabad.in* पर उपलब्ध है। सहमति पत्र अधोहस्ताक्षरी के E-mail: diosallahabad@gmail.com पर भी भेजा जा सकता है।

अतः उक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता हैं कि **लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की प्रवक्ता राजकीय इण्टर कालेज (पुरूष / महिला शाख) स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 दिनांक 23.09. 2018 (रविवार)** के लिए सहमति निर्धारित प्रारूप पर दो दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे समयान्तर्गत विद्यालयों की सूची अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), इलाहाबाद के माध्यम से लोक सेवा आयोग को प्राप्त करायी जा सके। निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। इसमें शिथिलता कदापि न बरती जाय अन्यथा की दशा में सम्बन्धित प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक—उक्तवत् प्रारूप।

भवदीय

31.8.18

(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

पृष्ठांकन संख्या / परीक्षा / / 2018—19 तददिनांक :

प्रतिलिपि— निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विद्यालयों से सहमति प्रपत्र प्राप्त होते ही तदनुसार विद्यालयों की सूची प्राप्त करा दी जायेगी—

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अपर जिला मजिस्ट्रेट(नगर), इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या— 980 / ए0जे0ए0—1 / 2018 दिनांक 30.08.2018 के अनुक्रम में।

(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद

कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

परीक्षा तिथि–23 सितम्बर, 2018 (दिन रविवार)

प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज (महिला / पुरुष शाखा) स्क्रीनिंग परीक्षा–2017

सहमति–पत्र

1–विद्यालय का नाम	
2– विद्यालय का स्पष्ट पता (मार्ग / गली / मोहल्ला) के नाम सहित एवं पिन कोड	
3–प्रधानाचार्य का नाम	
4–परीक्षा केन्द्र प्रभारी का नाम पदनाम सहित	
5–प्रधानाचार्य का बैंक खाते में अंकित नाम–बैंक खाता संख्या, एवं शाखा का नाम–जनपद कोड एवं आई.एफ.सी.कोड	
6– परीक्षा केन्द्र प्रभारी का टेलीफोन / मोबाइल नम्बर कार्यालय / आवास	
7–फैक्स नम्बर, यदि कोई हो	
8–कक्षों की संख्या–	
9–सी0सी0टी0वी0 कैमरे से युक्त कक्षों की संख्या	
10–कुल बैठने की क्षमता (2 वर्ग मीटर प्रति अभ्यर्थी हेतु प्रति कमरों सहित)	
11–अभ्यर्थी हेतु फर्नीचर पर्याप्त है (कितने कमरों हेतु कुर्सी, मेज की व्यवस्था है और कितने कमरों में बेंच की व्यवस्था है)	
12–विद्युत व्यवस्था है अथवा नहीं?	
13–जेनरेटर उपलब्ध है अथवा नहीं	
14–क्या शौचालय / मूत्रालय की समुचित व्यवस्था है।	
15–क्या महिलाओं हेतु शौचालय / मूत्रालय की समुचित व्यवस्था है?	
16–क्या साईकिल / वाहन स्टैण्ड की व्यवस्था है?	
17–क्या परीक्षा संचालन के लिए स्टाफ आदि पर्याप्त है?	
18–क्या पूर्व में लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई है?	
19–क्या विद्यालय कभी परीक्षाओं हेतु प्रतिबन्धित (Debarred) रहा है?	
20–विद्यालय से कचेहरी की दूरी–	
21–मुख्य सड़क से विद्यालय की दूरी	

उपर्युक्त विवरणों सहित विद्यालय का आरक्षण प्रवक्ता राजकीय इंटर कालेज (महिला / पुरुष शाखा) स्क्रीनिंग परीक्षा–2017 के आयोजन हेतु आरक्षित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तिथि को अन्य किसी परीक्षा हेतु विद्यालय को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है और न ही बनाया जायेगा।

नोट:–प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या द्वारा ही हस्ताक्षरित सहमति–पत्र ही मान्य होगा।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर..............

पूरा नाम..

मुहर..